सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

संविधान के अनुच्छेद 338 'क' के तहत
अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुरक्षणों के
अन्वेषण एवं परिवीक्षण हेतु गठित आयोग

'बी' विंग, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
website : ncst.nic.in
टोल फ्री नं. : 1800117777, फैक्स नं. : 011–24604689

अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति निम्नलिखित विषयों पर अपनी शिकायत/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

- मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम, बालश्रम का निषेध,
- शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण, आर्थिक संरक्षण और पांचवी तथा छठी अनुसूचियों के कार्यकरण तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए के लिए अनुदानों को निर्मुक्त करना,
- अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण,
- सेवाओं में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन,
- अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमि के हस्तांतरण और पुनःस्थापन से संबंधित राज्यों के अधिनियम और विनियम, वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 (अनुसूचित जनजाति के संबंध में),
- न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 (अनुसूचित जनजाति के संबंध में),
- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पादों के संबंध में स्वामित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने के संबंध में, विधि द्वारा यथा निर्धारित खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में,
- जनजातियों के विकास के मार्ग में आने वाली कमियों को दूर करने तथा अधिक ठोस आजीविका नीतियों पर कार्य करने के लिए उपाय करने के संदर्भ में,
- विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए सहायता एवं पुनर्वास उपायों की प्रभावशीलता को सुधारने के लिए उपाय करने के संदर्भ में,
- जनजातीय लोगों की भूमि को हस्तांतरित करने से रोकने ओर उन लोगों के मामले में प्रभावी पुनर्वास कराना जिनके हस्तांतरण पहले ही हो चुके हैं, के लिए उपाय करने,
- वनों को संरक्षित करना तथा सामाजिक वनीकरण करने के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त करने एवं जनजातीय समुदायों को इसमें संलग्न करने के लिए उपाय करने,
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने,
- जनजातियों द्वारा झूम कृषि की परंपरा को कम करने और अंत में इसका उन्मूलन करने के लिए उपाय करने, जिसने उन्हें लगातार कमजोर किया है और भूमि तथा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के संदर्भ में।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित मामले।
- उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त आयोग किसी सामयिक घटना के आलोक में स्वतः संज्ञान लेकर जांच करता है तथा आयोग मामलों की सुनवाई बैठक/सीटिंग देश के किसी भी भाग में कर सकता है।

शिकायत प्रेषण :

शिकायत आयोग के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों अथवा सचिव को सीधे ही संबोधित की जानी चाहिए, पृष्ठांकित शिकायतों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। शिकायतकर्ता को अपनी पूरी पहचान, पता तथा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन साक्ष्य सहित ही प्रस्तुत करना चाहिये। न्यायालय में विचाराधीन तथा निर्णित मामलों पर आयोग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। आयोग में शिकायत डाक से, ईमेल द्वारा अथवा ऑनलाइन https://ncstgrams.gov.in पर दर्ज की जा सकती है।

आयोग की शक्तियां :

आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) के अतंर्गतखंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय अथवा उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद की जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां प्राप्त है जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है अर्थात्

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,

(ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना,

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें,

संघ और राज्य सरकारों द्वारा आयोग के साथ परामर्श :

संविधान के अनुच्छेद 338 क की खण्ड (9) के अनुसार, प्रत्येक संघ तथा राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर, आयोग के साथ परामर्श करेंगी।

आयोग का वर्तमान गठन :

नाम	दूरभाष नंबर एवं ईमेल
श्री हर्ष चौहान	011–24635721–24624628 (फै.)
अध्यक्ष	chairperson@ncst.nic.in
श्री अनंत नायक	011–24623958
सदस्य	Ananta.nayak@ncst.nic.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

'बी' विंग, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110043

सूचना एवं सुविधा केन्द्र : 1800117777 (टोल फ्री)

क्र. स.	नाम	पदनाम	कमरा सं.	कार्यालय फोन	कार्यालय फैक्स
1.	श्री हर्ष चौहान	अध्यक्ष	601	24635721	24624628
2.	श्री अनंत नायक	सदस्य	604	24646954	
3.	श्रीमती अलका तिवारी	सचिव	602	24635625	24624190
4.	श्रीमती सी. जेनी राज	सचिव का पीएसओ	622	24635625	24624190
5.	श्री कोनथांग तऊथांग	संयुक्त सचिव	610	24603669	24654826
6.	श्री राजकुमार बदलिया	निजी सचिव	612	24603669	
7.	डॉ0 ललित लट्टा	निदेशक	606	24615012	
8.	श्री आर.के. अरोड़ा	उप सचिव	608	24620638	
9.	श्री एम.एल. मीणा	अवर सचिव	611	24657271	
10.	श्री एस.पी. मीणा	स. नि. (आरयू।। समन्वय प्रकोष्ठ)	615	24657272	
11.	श्री आर.के. दुबे	स. नि. (प्रशासन आरयू।।।)	607	24601346	
12.	श्री राज जनम चौधरी	स. निदेशक (राजभाषा)	5वी मंजिल	24641640	
13.	श्री आर.एस. मिश्रा	वरिष्ठ अन्वेषक (आरयू।)	5वी मंजिल	24641640	
14.	श्री वाई के बंसल	अनुसंधान अधिकारी (आरयू IV)	5वी मंजिल	24641640	

आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों का पता एवं अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का विवरण

क्रम सं.	नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता	अधिकार–क्षेत्र
1.	**सुश्री दीपिका खन्ना,** अनुसंधान अधिकारी कमरा संख्या 309, निर्माण सदन, सी.जी.ओ. भवन, 52–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011 (मध्य प्रदेश) दूरभाष: 0755–2576530,2578272	कर्नाटक, केरल, गोवा, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, और दादरा एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
2.	**श्री वी. अशोक वर्धन,** सहायक निदेशक एन–1/297, आई.आर.सी. विलेज, भुवनेश्वर–751015 (ओडीशा) दूरभाष: 0674–2551616,2551818	आन्ध्र प्रदेश, ओडीशा, तमिलनाडु, तथा पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र
3.	**डॉ. ललित लट्टा,** निदेशक, (अतिरिक्त प्रभार) कमरा सं0 101–102, केन्द्रीय सदन, सेक्टर–10, विद्याधर नगर, जयपुर–302023 (राजस्थान) दूरभाष: 0141–2236462,2235488	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल राज्य और चंडीगढ़ तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र
4.	**श्री प्रदीप कुमार दास,** अनुसंधान अधिकारी ईएसी कॉलोनी, प्लॉट नं. 3/16, जिला न्यायालयों के पीछे पहली मंजिल, पूर्णिमा विद्यालय के पास, रायपुर–492001 दूरभाष: 0771–2443334,2443335	छत्तीसगढ़ राज्य
5.	**श्रीमती मीनाक्षी शर्मा,** सहायक निदेशक 14, न्यू ए.जी. को–ऑपरेटिव कालोनी, कदरु, रांची–492006 (झारखंड) दूरभाष: 0651–2341677,2340368	बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश राज्य
6.	**श्री श्यो प्रसाद मीना,** सहायक निदेशक, (अतिरिक्त प्रभार) रबेक्का विला, टेम्पल रोड़, लोअर लछुमियर, शिलांग–793001 (मेघालय) दूरभाष: 0364–2504202,2221362	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्य